









सुप्रीम कोर्ट ने कानून के गलत इस्तेमाल पर लताड़ लगाई

## महिलाओं के हित का कानून है जबरन वसूली के लिए नहीं

नई दिल्ली, 20 दिसंबर  
(एजेंसियां)

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में महिलाओं के हित के लिए बनाए गए कानूनों के दुरुपयोग पर गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून महिलाओं के कल्याण के लिए है, न तक उनके पतियों से धन एंडोर्न का साधन बनाना।



न्यायाली वीवी नारगता और न्यायमूर्ति पंकज मिथन की पीठ ने यह टिप्पणी की कि हिंदू विवाह एक पवित्र संबंध है, जो परिवार की नींव है और इसे किसी व्यावसायिक समझाते की तरह नहीं देखा जा सकता।

कोर्ट ने कहा कि महिलाओं

के लिए बनाए गए कानूनों का उद्देश्य उनका सुरक्षा और सशक्तिकारण करना है लेकिन कभी-कभी कुछ महिलाएं इन कानूनों का गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं। पीठ ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में कानून

का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और यह सिर्फ महिलाओं के हित में होना चाहिए, न कि उन्हें अपने पतियों से धन एंडोर्न का साधन बनाना।

इस मामले में, जहां एक अमेरिकी आईटी कंसल्टेंट ने तलाक की मांग की, वहीं पत्नी ने पति से 500 करोड़ रुपए के बाबर गुजारा भत्ता की मांग की थी, जो पति की पहली पत्नी को मिले थे। अदालत ने इस मामले में पति को आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी को 12 करोड़ रुपए का स्थायी गुजारा भत्ता एक महीने के भीतर दे, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा कि महिलाओं को यह समझाना होगा कि कानून का

उद्देश्य परिवार को बचाना और महिलाओं को सशक्त बनाना है न कि इसे एक लेन-देन का साधन बनाना।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि महिला और उनके परिवार द्वारा आपाराधिक शिकायतों का इस्तेमाल पति और उनके परिवार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए उल्लंघन के लिए संकेत किया जा सकता है। कोर्ट ने महिलाओं को सतर्क रहने की सलाह दी और कहा कि कड़े कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग किसी भी हालत में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कानून महिलाओं के भले के लिए बनाए गए हैं, न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए।

नई दिल्ली, 20 दिसंबर  
(एजेंसियां)

संसद का शीतकालीन सत्र हांगमे की भेट चढ़ गया। इस सत्र में राज्यसभा में केवल 40.03 फीसदी ही काम हुआ। राज्यसभा सभापति ने विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से एक देश एक चुनाव विधेयक को लेकर बन रही जेप-पीसी के लिए उच्च सदन से सदस्यों को भेजा गया। सदन की कार्यवाही के दौरान विधेयकी संसदों ने नारेबाजी की। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से संविधान (129वां संसोधन) विधेयक

2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संसोधन) विधेयक 2024 को संसद की संयुक्त सभापति को भेजने का प्रस्ताव रखने के लिए कहा। जेप-पीसी के लिए 12 सदस्यों को नामित करने के प्रस्ताव को ध्वनित से पारित कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह जब राज्यसभा में कार्यवाही शुरू हुई तो विषय ने प्रदर्शन किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद सदन की तौर पर देश के लिए संसद के नेता जेपी नड्डा और विषय के नेता

हो रहे व्यवधान लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता के विश्वास को लगातार कम कर रहे हैं। केंद्रीय मृग मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर ही रहे हांगमे के बीच लोकसभा से शुक्रवार को एक देश एक चुनाव से जुड़े दो विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति (जेप-पीसी) को भेजा गया। सदन की कार्यवाही के दौरान विधेयकी संसदों ने नारेबाजी की। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से संविधान (129वां संसोधन) विधेयक


को नामित करने का प्रस्ताव रखने के लिए कहा। जेप-पीसी के लिए 12 सदस्यों को नामित करने के प्रस्ताव को ध्वनित से पारित कर दिया गया। इसके बाद लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

## सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी धर्म संसद के खिलाफ याचिका

नई दिल्ली, 20 दिसंबर  
(एजेंसियां)

सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद स्थित डासना मंडिर के महत्व यथि नरसिंहानंद के प्रस्तावित धर्म संसद के खिलाफ प्रशांत भूषण की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। दासना, यथि नरसिंहानंद फाउंडेशन 17-21 दिसंबर को डासना के शिव-शक्ति मंडिर में धर्म संसद आयोजित करने जा रहा है।

इस आयोजन के खिलाफ प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका में कहा था कि यहां नकरती भाषण दिए पर यहां नकरती भाषण करने की आशंका है। इसे पर-



सुनवाई से इनकार करते हुए पूर्व यथाधीश संचीत खन्ना ने कहा कि प्रदेश के अधिकारियों को सभी एहतियाती कदम ताने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा कि उसके पास अन्य गंभीर मामले भी हैं। इसलिए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट से संपर्क करना चाहिए।

प्रशांत भूषण ने कहा कि नर-

## असम एसटीएफ ने केरल और बंगाल में मारा छापा

### बांग्लादेशी आतंकी संगठन के 8 आतंकी गिरफ्तार

गुवाहाटी, 20 दिसंबर (एजेंसियां)

भारत में गायथी सुरक्षा के लिए खतरा बनकर धूम रहे इस्लामी कट्टुपंथी संगठनों पर असम एसटीएफ ने करारा प्रहर किया है। असम की स्पेशल टाइप फोर्स ने बंगाल पुलिस और केरल पुलिस के साथ मिलकर राज्यों में आपरेशन प्रवात चलाया और 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया।

आतंकियों की पहचान मोहम्मद साब शेख, मिनारुल शेख, अब्बास अली, नूर इस्लाम मंडल, अब्दुल करीम मंडल, मोर्जीबार रहमान, हमीदुल इस्लाम और इनामुल हक के तौर पर हुई है। ये सभी लोग देश भर में स्त्रीपर सल बनाने की गतिविधियों में संलग्न थे। इनमें सब शेख और अब्बास अली बांग्लादेशी हैं। अब्बास को पहले फर्जी पासपोर्ट मामले में भी अरेस्ट किया जा चुका था लेकिन इस बार गिरफ्तारी आतंकी गतिविधियों



को अंजाम देने की साजिश रचने के लिए हुई।

असम पुलिस के स्पेशल डीजीपी हरप्रीत सिंह ने इस कार्रवाई को लेकर बताया कि पिंथिं बंगाल के मुशिदाबाद और हिस्सों में अपनी टीमें भेजीं और 17-18 दिसंबर की रात इस मामले में छापेमारी हुई। छानवीन में इनके पास से कई एक दसरे से मिले थे। इन बैठकों में हिंदू आपत्तिजनक दस्तावेज और सामान भी मिले।

देश में मजहबी तनाव भड़काकर, सांप्रदायिक सङ्दाव बिगाड़ा था। पुलिस ने सूचना पाने ही देश के अलग-अलग हिस्सों में कई बैठकें कर चुके थे। जहां नूर इस्लाम मंडल मान का आतंकी अपने समितियों के साथ आया है और इसके बालाकाटा में कई बैठकें कर चुके थे। अलाबा तक यही सामने आया है कि आतंकी अपनी टीमें भेजी जाएं और जेप-पीसी के लिए देश के अलंकारी आतंकी अपने समितियों के साथ आया है और इसके बालाकाटा में आरएसएस सदस्यों और हिंदू संगठनों के सदस्यों को मारने की बात हुई थी।

## वन नेशन वन इलेक्शन बिल जेपीसी के हवाले

नई दिल्ली, 20 दिसंबर (एजेंसियां)

लोकसभा ने इस बिल के बारे में पता लगाने में जुटी है। अभी तक यही सामने आया है कि आतंकी अपनी टीमें भेजी जाएं और जेप-पीसी के लिए देश के अलंकारी आतंकी अपने समितियों के साथ आया है और इसके बालाकाटा में कई बैठकें कर चुके थे। अलाबा, सुखदेव भगत, धर्मेंद्र यादव, छोटेलाल, कल्याण बनजी, टीएम सेल्वागणपति को भी जेप-पीसी में भी अरेस्ट किया जा चुका था लेकिन इनकी विवाह सुलझानी की तो विवाह कर दिया गया। इसके बालाकाटा में आरटी के लिए देश के अलंकारी आतंकी अपने समितियों के साथ आया है और इसके बालाकाटा में आरएसएस सदस्यों और हिंदू संगठनों के सदस्यों को मारने की बात हुई थी।

पटीदार, संजय कुमार, रणदीप सिंह सुरेजाला, मुकुल वासनिक, साकेत गोवर्णे, पी विलसन, संजय सिंह, मानस रंजन मनग्रास और वी विजय सई रेडी का नाम शमिल है। पिछले हास्तों में दोनों बैठकें कर चुके थे। उन्होंने अपना नाम का आतंकी अपनी टीमें भेजी हैं। इस विधेयक के समर्थन में 269 सदस्यों ने विधेयक भेजा किए जाने के पक्ष में मतदान किया, जबकि 196 ने इसके खिलाफ मतदान किया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भर्तुली महताब को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित कमेटी का अध्यक्ष करना चाहिए। महताब को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित कमेटी का अध्यक्ष करना चाहिए।

पटीदार, संजय कुमार, रणदीप सिंह सुरेजाला, मुकुल वासनिक, साकेत गोवर्णे, पी विलसन, संजय सिंह, मानस रंजन मनग्रास और वी विजय सई रेडी का नाम शमिल है। उन्होंने अपना अंतिम चुनाव साल 2005 में रोडी विधायिक समिति से लड़ा था। वह ताजे के नाम से प्रसिद्ध किर

















# राष्ट्र प्रथम



# बांटेगो तो कटेगो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे

Best Wishes



# **Basai Steels And Power Pvt. Ltd.**

# MANUFACTURERS OF

# **BILLETS | POWER | SPONGE IRON & M.S & G.P PIPE 15mm to 150mm**

## **SQUARE, RECTANGULAR & ROUND PIPES IN ALL REGULAR THICKNESS**

**A-23/586, APIE, Balanagar, Hyderabad 500037**

**Cell: 9848030471,7799555555**

**gopalagarwal@basaisteels.com**

**Ward No 3, Plot No 412, Sidiginamola Village  
Bellary-Alur Highway, Bellary 583138**

[www.basaisteels.com](http://www.basaisteels.com)

